न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 32/2019 (धारा 75 भू राजस्व अधि0 1956) (RCMS No.2019/00036)

1. रामखिलाडी
2. सिरमौहर
3. किशनसिंह
4. फूलसिंह
5. रूपसिंह

पुत्र बुद्धो

जातियान जाटव निवासी ग्राम अलापुरी तहसील बयाना जिला भरतपुर।

6. लच्छो पुत्री बद्धो जाति जाटव निवासी अलापुरी तहसील बयाना जिला भरतपुर।
7. किशनदेई पुत्री बुद्धो जाति जाटव निवासी अलापुरी तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी बयाना मु0नं0 33/2013 बुद्धो बनाम सरकार दिनांक 31.5.2018 (136 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

1. श्री नरेन्द्रपाल सिंह वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः– 20.11.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी बयाना के निर्णय दिनांक 31.5.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट की माता बुद्धो द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया था कि प्रार्थीया भूमीहीन वेवा होने के कारण राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन की अनुपालना में ग्राम अलापुरी तहसील बयाना में पुराना खसरा नम्बर 201 मिन में से 6 बीघा आराजी आवंटित की गई थी। जिसका हाल बन्दोवस्ती खसरा नम्बर 683 व 684 है। प्रार्थीया ने आवंटन समिति के समक्ष आवेदन बुद्धो वेवा घमण्डी जाति जाटव (चमार) निवासी अलापुरी तहसील बयाना के नाम से आवेदन प्रस्तुत किया था। भूमिहीन प्रमाण पत्र जारी होने के बाद आवंटन सलाहाकार समिति ने नियमानुसार दिनांक 16.10.1977 को खसरा नम्बर 201 मिन में से 6 बीघा वास्ते काश्तकारी आवंटित की थी। जिसकी पालना में तत्कालीन पटवारी व गिरदावर ने मौके पर पहुंचकर कब्जा दखल देते हुये राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में गैर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

खातेदारी का इन्द्राज कराया था, परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूलवश अपीलान्ट की माता की जाति जाटव (चमार) के बजाय गूजर लिख दिया गया, जो कि गलत है। प्रार्थीया जाटव महिला है। ग्राम अलापुरी में बुद्धो वेवा घमण्डी जाति गूजर नाम की न तो पूर्व में कोई महिला थी और न ही अव है। तत्कालीन पटवारी हल्का ने दौराने इन्द्राजी गैर खातेदारी प्रार्थीया की जाति गलती से गूजर लिख दी थी। जबकि प्रार्थीया जाटव जाति से है। प्रार्थीया का परिचयपत्र, राशनकार्ड, इसका प्रमाण है। प्रार्थीया आवंटन के बाद कब्जा देने के बाद निरन्तर काविज होकर दोनों फसलें बोकर काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया के अलावा किसी दीगर व्यक्ति का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं है। इसलिऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हाल राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में प्रार्थीया के नाम खसरा नम्बर 201 मिन के आगे गूजर के स्थान पर जाटव (चमार) शुद्ध किया जावे। तहत अदालत द्वारा वाद कार्यवाही प्रार्थना पत्र यह कहते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.5.2018 से खारिज कर दिया गया कि खातेदार की खातेदारी में नाम की अशुद्धि 136 एल आर एक्ट में श्रवण योग्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। रैस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.05.2018 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट की माता बुद्धो द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया कि प्रार्थीया भूमिहीन वेवा होने के कारण राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन की अनुपालना में ग्राम अलापुरी तहसील बयाना में पुराना खसरानम्बर 201 मिन में से 6 बीघा आराजी आवंटित की थी। जिसका बन्दोवस्ती खसरानम्बर 684, 683 है। प्रार्थीया ने आवंटन समिति के समक्ष आवेदन बुद्धो वेवा घमण्डी जाति जाटव (चमार) निवासी अलापुरी तहसील बयाना के नाम से आवेदन प्रस्तुत किया था। भूमिहीन प्रमाण पत्र जारी होने के बाद आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा नियमानुसार दिनांक 16.10.1977 को खसरा नम्बर 201 मिन में से 6 वीघा भूमि अपीलान्ट की माता को वास्ते काश्तकारी आवंटित की गई थी। जिसकी पालना में तत्कालीन पटवारी व गिरदावर ने मौके पर पहुंचकर कब्जा दखल देते हुये राजस्व अभिलेख जमावन्दी में गैर खातेदारी का इन्द्राज कराया, परन्तु भूलवश अपीलान्ट की माता की जाति जाटव (चमार) के बजाय गूजर लिख दिया गया। जवकि अपीलान्ट की माता की जाति जाटव है। ग्राम अलापुरी में बुद्धो वेवा घमण्डी गूजर नाम की न तो पूर्व में कोई महिला थी और न ही वर्तमान में है। अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में इसके समर्थन में परिचयपत्र, राशनकार्ड आदि प्रस्तुत किया गया था। अपीलान्ट की माता को आवंटित भूमि का कब्जा देने के

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

बाद से ही निरन्तर काबिज होकर दोनों फसलें बोकर काश्त करती चली आ रही है। अपीलान्ट व उसकी माता के अलावा किसी दीगर व्यक्ति का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं है। अदालत मातहत में अपीलान्ट की ओर से भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपीलान्ट की माता के नाम आवंटित भूमि खसरा नम्बर 201 मिन के आगे गूजर के स्थान पर जाटव (चमार) शुद्ध किये जाने हेतु आवेदन किया गया था। जिसे तहत अदालत ने बिना किसी परीक्षण के व अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2018 पारित किया है, जो कि निरस्तनीय है। अदालत मातहत की ओर से अपीलान्ट की माता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु राजस्व कैम्प गाजीपुर में रखा गया था, परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र गाजीपुर कैम्प में नहीं रखकर राजस्व कैम्प समोगर में ले जाया गया और गूजर जाति के लोगों से मिली भगत करके गलत तरीके से दिनांक 31.05.2018 को निर्णय पारित कर दिया जो काबिले मंसूखी है। जबकि समोगर ग्राम पंचायत मुख्यालय नहीं होकर गाजीपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के भी विपरीत है। तहत अदालत ने एल आर एक्ट के प्रावधानों की अवहेलना करते हुये निर्णय पारित किया है। तहत अदालत ने अपीलान्ट की माता बुद्धों का आवंटित भूमि पर कब्जा होते हुए भी इस तथ्य की अनदेखी करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों को नजर अन्दाज कर मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। 136 एल आर एक्ट रिकार्ड में त्रुटी को दुरूस्त करने के लिये होती है तथा उपखण्ड अधिकारी को उक्त प्रावधान के तहत रिकार्ड में दुरूस्ती करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसके बाबजूद अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह मानना कि 136 एल आर एक्ट में दुरूस्त नहीं किया जा सकता, कतई गलत है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि तहसीलदार बयाना के द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 27.02.2014 में यह स्पष्ट किया गया है कि सहवन से जाति जाटव/चमार के स्थान पर गूजर लिखना प्रतीत होता है। ग्राम अलापुरी में बुद्धो वेवा घमण्डी नाम की कोई औरत गूजर जाति में नहीं है लेकिन बुद्धो वेवा घमण्डी जाति जाटव (चमार) के नाम की औरत आज दिनांक तक मौजूद है। उक्त खसरा नम्बरों पर बुद्धों वेवा घमण्डी जाति जाटव (चमार) का ही कब्जा है। अन्य किसी का कब्जा नहीं है साथ ही रिपोर्ट के साथ मौका पर्चा भी संलग्न कर तहत अदालत में तहसीलदार बयाना के द्वारा पेश किया गया किन्तु तहत अदालत ने इस इस रिपोर्ट पर गौर नहीं किया गया। तहत अदालत के समक्ष वास्तविक तथ्य जैसे परिचय पत्र, राशनकार्ड, तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 27.2.2014, मौका पर्चा, वास्तविक कब्जे का सबूत, इत्यादि पेश किये जा चुके थे इसके बाबजूद इन तमाम तथ्यों को तहत अदालत ने नजरअन्दाज कर मनमाने तरीके से विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि काबिले मंसूखी है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वकील अपीलान्ट ने अपील मियाद बाहर पेश किये जाने के संबंध में बहस करते हुए तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट या उसकी माता को राजस्व कैम्प में सुनवाई किये जाने हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। वरन् अदम जानकारी के अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। जिसकी अपीलान्टस को कोई जानकारी नहीं थी। चूंकि अपीलधीन आदेश अपीलान्टस की बैक पर पारित किया गया है। इसकी जानकारी पटवारी द्वारा दिनांक 06.03.2019 को कराई गई तव विधि सलाह लेकर अपील बिना देरी के पेश की गई है। अपीलान्टस की माता वुद्धो के दिनांक 11.01.2019 को फौत होने के कारण अपीलान्ट द्वारा जानकारी होने के वाद दिनांक 07.03.2019 को नकल हेतु आवेदन किया गया एवं नकल प्राप्त होते ही जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इसएिल अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.05.2018 निरस्त किया जावे तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व तथ्यों के आधार पर रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने हेतु अदालत मातहत को निर्देशित किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए सरकारी पैरोकार ने तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2018 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित है। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय में यह माना है कि जाति की अशुद्धि नामान्तकरण संख्या 140 निर्णय दिनांक 17.10.1977 में हुई है। नामान्तकरण में यदि अशुद्धि हुई है तो उसकी शुद्धि 136 एल.आर.एक्ट के तहत नहीं बल्कि नामान्तकरण की अपील सक्षम न्यायालय में की जानी चाहिए। इस आधार पर अपीलान्ट की माता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्रवण योग्य नहीं होने के आधार पर खारिज किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.05.2018 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.05.2018 के विरूद्ध दिनांक 12.03.2019 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संवंधी विन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। अतः अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ संलग्न दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 06.03.2019 को पटवारी हल्का से होने के बाद निर्णय की नकल दिनांक 07.03.2019 को प्राप्त कर जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश करने का अनुरोध करते हुए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने का अनुरोध किया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना

राजस्व संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

29.11.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पत्र का जवाब पेश किया गया और न ही काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इसके अलावा भी माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दुओं पर अपील को खारिज किये जाने से बचना चाहिए। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलान्ट की माता बुद्धो जिनकी मृत्यु दिनांक 11.01.2019 को हो गई है, के द्वारा अदालत मातहत में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें उसको दिनांक 16.10.1977 को साविक खसरा नंबर 201 मिन में से आवंटित 6 बीघा भूमि का राजस्व रिकार्ड में जाति जाटव की बजाय गूजर लिखे जाने के कारण दुरूस्ती किये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी सम्वत 2068–71 भूमिहीन होने का प्रमाण पत्र, उपखण्ड अधिकारी बयाना की ओर से जारी आवंटन आदेश, मिलान क्षेत्रफल, पहचान पत्र, राशन कार्ड, जमाबन्दी सम्वत 2037 से 2040 व नामान्तकरण संख्या 140 दिनांक 17.10.1977 की प्रति प्रस्तुत की गई। दौरान विचारण प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत गाजीपुर की ओर से जारी प्रमाण पत्र दिनांक 10.06.2015 की प्रति प्रस्तुत की। जिसमें अपीलान्ट की माता की खातेदारी में स्थित भूमि में जाति जाटव की बजाय गूजर गलत लिखे होने का उल्लेख किया गया। तहत अदालत द्वारा तहसीलदार बयाना से रिपोर्ट चाही गई। जिसमें तहसीलदार बयाना की ओर से पत्र दिनांक 27.02.2014 के द्वारा पटवारी हल्का की ओर से तैयार पर्चा मौका तथा रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसमें उल्लेख किया गया है कि खसरा नंबर 683/0.39 व 684/0.58 रकबा 0.97 है0 बुद्धो वेवा घमण्डी गूजर की खातेदारी में दर्ज है। आवंटन आदेश दिनांक 16.10.77 के द्वारा बुद्धो वेवा घमण्डी जाति चमार निवासी अलापुरी को ग्राम अलापुरी के गत खसरा नंबर 201 रकबा 6 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत साविक खसरा नंबर 201 रकबा 6 बीघा का हाल खसरा नंवर 683/0.39 व 684 रकबा 0.58 है0 किता 2 रकबा 0.97 है0 है, जो कि बराबर है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2037 से 2040 के खाता संख्या 71 में आवंटित खसारा नंवर 201 रकबा 6 बीघा का अमल इन्तकाल नंबर 140 दर्ज होने के बाद गैर खातेदारी का खाता बुद्धो वेवा घमण्डी गूजर साकिन देह गैर खातेदार कायम किया है। इसमें सहवन से जाति चमार के स्थान पर गूजर लिखना प्रतीत होता है। पर्चा मौका के अनुसार ग्राम अलापुरी में बुद्धो वेवा घमण्डी नाम की औरत गूजर जाति में कोई भी नहीं है। बुद्धो वेवा घमण्डी जाति चमार नाम की

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

औरत गांव में मौजूद है। उक्त खसरा नंबर पर बुद्धो वेबा घमण्डी जाति चमार का कब्जा है, अन्य किसी का कब्जा नहीं है। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उपखण्ड अधिकारी बयाना की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.05.2018 को राजस्व कैम्प समोगर में पारित किया है। जिसमें यह उल्लेख करते हुए कि आवंटी बुद्धो वेबा घमण्डी की जाति नामान्तकरण के द्वारा दर्ज हुई है। यदि नामान्तकरण में अशुद्धि हुई है तो उसकी शुद्धि 136 एल.आर.एक्ट के तहत नहीं होकर नामान्तकरण की अपील सक्षम न्यायालय में की जानी चाहिए। इस आधार पर प्रकरण धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत श्रवण योग्य होना नहीं मानकर खारिज किया है, जो कि उचित नहीं है क्योंकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में यह प्रावधान है कि भू–अभिलेख अधिकारी को किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को वीहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितवद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस देख ले। उक्त प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवंटी बुद्धो की जाति जाटव की वजाय सहवन से गूजर लिखी गयी है। बुद्धो पत्नि घमण्डी गूजर नाम की कोई महिला ग्राम अलापुरी में नहीं है, वरन् बुद्धो पत्नि घमण्डी जाति जाटव है। जिसका विवादित भूमि पर कब्जा व काश्त है। राजस्व रिकार्ड में सहवन से जाटव की वजाय गूजर लिखे जाने की पुष्टि की गई है। जिसे उपरोक्त प्रावधान के तहत दुरूस्त किये जाने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.05.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बयाना को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात तथा तहसीलदार बयाना की ओर से प्रकरण में प्राप्त हुई रिपोर्ट दिनांक 27.02.2014 में वर्णित तथ्यों के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में वर्णित प्रावधान के तहत अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 20.11.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर